आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आर्म्स अपील वाद संख्या–356 / 2022

चितरंजन सिंह

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
20.02.2023	प्रस्तुत अपीलवद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.–9275 / 2020 में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, शिवहर के आदेश ज्ञापांक–207 दिनांक–01.04.2017 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित समादेश दिनांक 15.11.2022 में अंकित है कि:– **"Having regard to the facts and circumstances of the case and considering the submission made by the learned counsel for the parties, as aforesaid, this Court, in the interest of justice, deems it fit and proper to quash the order dated 02.07.2019, passed by the learned Divisional Commissioner, Tirhut Division, Muzaffarpur in Arms Appeal Case No. 93 of 2018, since the same has not been passed on merits and remand the matter back to the learned Court of Divisional Commissioner, Tirhut Commissioner, Muzaffarpur, with a direction to him to**	

WEB COPY NOT OFFICIAL

pass a reasoned and speaking order, in accordance with law, on merits, within a period of eight weeks of receipt, production of a copy of this order."

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में वाद को अधिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गई एवं अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सविस्तार सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्ता का परिवार माओवादी इलाका में रहता है। उन्होंने (अपीलकर्ता) अपने परिवार के सुरक्षा के लिए दो नाली बंदुक लिया था, जिसका अनुज्ञप्ति सं0–98/91 है, जो सम्पूर्ण बिहार राज्य सीमा तक मान्य है। अपीलकर्ता अपने अनुज्ञप्ति का लगातार दिनांक 31.12.2017 तक नवीकरण कराते आ रहे थे। गृह विभाग, भारत सरकार एवं गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक 10–12/2013 गृ0आ0 2341 दिनांक 20.03.2017 से प्राप्त निदेशानुसार दिनांक 31.03.2017 तक सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को UIN Generate कराने का आदेश था, जिसके संबंध में अपीलकर्ता को बिना कोई सूचना दिये बगैर उनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है, जो गलत है। अंत में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उनकी (अपीलकर्ता) के अनुज्ञप्ति को **Restore** करने का अनुरोध किया है।

वही विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार गृह विभाग के कई पत्रो के आलोक मे जिला दंडाधिकारी द्वारा सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचना देते हुए अपना आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय

WEB COPY NOT OFFICIAL

के अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय में जिस आधार पर जिला दंडाधिकारी, शिवहर के आदेश को गलत बताया जा रहा है, उस संबंध में जिला दंडाधिकारी, शिवहर के आदेश में अंकित है कि ''***अनुज्ञप्तिधारियों को NDAL के एक विशिष्ट पहचान सं0 (UIN No.) आवंटित किये जाने हेतु पूर्व मे विहित प्रपत्र में सूचना की मांग, दैनिक समाचार पत्रों/सभी थानाध्यक्षों के माध्यम से तामिला हेतु भेजी गई सूचना से की गई थी।***'' साथ ही समाचार पत्रों मे जिला दंडाधिकारी, शिवहर द्वारा दिनांक 15.03.2014 को सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को आम सूचना के माध्यम से भी तामिला कराया। जिसका अनुपालन ज्यादातर अनुज्ञप्तिधारियों ने किया, उन अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति यथावत रखी गई है। सभी प्रयास करने के बाद भी यदि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना करे तो उनके अनुज्ञप्ति को रद्द करना ही उचित कदम है। शस्त्र रखना एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला कर्त्तव्य है। समय–समय पर थाना पर शस्त्र का सत्यापन कराना, निर्वाचन के समय जमा कराना या वांछित सूचना उपलब्ध कराना अनुज्ञप्तिधारी का कर्त्तव्य है। अनुज्ञप्तिधारी ने हर स्तर पर लापरवाही बरती है, समय पर NDAL में डाटा अद्यतन नहीं कराया। जब शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द भी हो गई तो भी एक वर्ष से ज्यादा के विलम्ब से अपील दायर किया गया था, जो उनकी लापरवाही को दर्शाता है। अतएव अपीकलकर्ता का यह दावा मान्य नही हो सकता है कि उन्हे बिना किसी सूचना के उनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, शिवहर के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

WEB COPY NOT OFFICIAL

	आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL